नये बाण्ड अनुज्ञापनों हेतु शपथ पत्र का प्रारूप
(प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ पृथक–पृथक शपथ–पत्र अपलोड किया जाना है)
(वर्ष 2022–23 हेतु)

1– यह कि शपथकर्ता ....पुत्र/पुत्री/पत्नी..निवासी......................जनपद........आयु..............................द्वारा जनपद.................................. के लिये .... बाण्ड अनुज्ञापन हेतु आवेदन किया है।

2–यह कि शपथकर्ता उपरोक्त अनुज्ञापन से संबंधित नियमावली(यथा संशोधित) के प्राविधानों/शर्तों/प्रतिबंधों के अनुसार पात्र आवेदक है तथा यह भी कि वह संबंधित नियमावली के प्राविधानों का पालन करेगा।

3–यह कि उक्त अनुज्ञापन हेतु शपथकर्ता के पास नियमानुसार आवश्यक परिसर उपलब्ध है।

4–यह कि शपथकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम–1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम–1985 के अंतर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

5–यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला जहॉ का वह निवासी है के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र अनुज्ञापन का संचालन प्रारम्भ करने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है। उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

6– यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। **संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम,1910 की धारा–7 के आलोक में अधिनियम के प्रयोजनार्थ शपथकर्ता के व्रिकेता/पत्नी/लिपिक/पति आदि के कब्जे से पाये गये अवैध मादक पदार्थ अथवा उनके आपराधिक कृत्य का दायित्व शपथकर्ता का होगा।**

7– यह कि शपथकर्ता पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है और उसे बकाये दारों की काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित नहीं किया गया है।

8–यह कि शपथकर्ता राज्य में किसी देशी शराब अथवा विदेशी शराब अथवा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान अथवा किसी माडलशाप का अनुज्ञापी नहीं है।

9– यह कि शपथकर्ता ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है जिसका ब्योरा यदि अपेक्षित होगा तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

10– यह कि शपथकर्ता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदत्त किया गया अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये। **शपथकर्ता द्वारा मात्र वैध मदिरा के थोक व्यापार का कार्य किया जायेगा। शपथकर्ता द्वारा अपने विक्रेताओं पर सदैव सतर्क दृष्टि रखी जायेगी।**

11– यह कि शपथकर्ता बार कौंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार कौंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

12– यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम–1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों को भली भॉति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।

उपरोक्त क्रमांक–1 से 12 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो शपथकर्ता का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।

दिनांक...

स्थान...

(हस्ताक्षर शपथकर्ता)